

# सूचना का अधिकार अधिनियम

## 2005

(धारा 4 (1) (b) (xv) के अन्तर्गत)

मैनुअल-15

(सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं।)

## मैनुअल-15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सूचनाओं का विवरण :-

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण	आयोग द्वारा विभिन्न सूचनाओं के जनसाधारण तक सम्प्रेक्षण के लिए निम्न उपलब्ध प्रचार साधनों का प्रयोग किया जा रहा है :- <ol style="list-style-type: none"><li>1. पुस्तकालय (प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक)।</li><li>2. समाचार-पत्रों में विज्ञप्तियों के प्रकाशन।</li><li>3. सूचना पटल (प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक)।</li><li>4. पूछताछ काउन्टर (प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक)।</li><li>5. विभागीय मैनुअल।</li><li>6. सी0डी0।</li><li>7. वेबसाइट- <a href="http://www.ukpsc.gov.in">www.ukpsc.gov.in</a></li></ol>
--------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------